रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255717
CG-DL-E-25072024-255717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946
No. 408]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 447(अ)- – निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (यझ) के साथ पठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई, आपत्ति अथवा सुझाव हो, तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दूरसंचार (एमेचर स्टेशन प्रचालक) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **"अधिनियम"** से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) **"एमेचर रेडियो उपकरण"** से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एमेचर स्टेशन के प्रचालन के लिए आवश्यक रेडियो उपकरण अभिप्रेत है;

(ग) **"एमेचर सेवाएं"** से एमेचर यानी रेडियो तकनीक में रुचि रखने वाले विधिवत रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल व्यक्तिगत उद्देश्य से और बिना किसी आर्थिक हित के, स्व-प्रशिक्षण, अंतरसंचार और तकनीकी जांच के उद्देश्य से की जाने वाली रेडियो संचार सेवाएं अभिप्रेत है;

(घ) **"एमेचर स्टेशन"** से एमेचर सेवाओं के लिए एमेचर द्वारा प्रचालित रेडियो स्टेशन अभिप्रेत है;

(ङ) **"एएसओसी"** या **"एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र"** से नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट प्रमाण-पत्रों की दो श्रेणियों नामतः एएसओसी (सामान्य) और एएसओसी (प्रतिबंधित) में से कोई एक अभिप्रेत है और **"एएसओसी धारक"** से वह व्यक्ति जिसे नियम 6 के उप-नियम (1) के तहत ऐसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, अभिप्रेत है;

(च) **"अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कन्वेशन"** से वर्ष 1992 में जिनेवा में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कन्वेन्शन अथवा उसके बाद किया गया कोई संशोधन अथवा आशोधन अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित अथवा स्वीकार किया है;

(छ) **"पोर्टल"** से ऐसा पोर्टल अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के नियम 15 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा;

(ज) **"रेडियो विनियम"** से विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (जिनेवा 1995) द्वारा अपनाए गए विनियम अभिप्रेत है और इसमें बाद में किया गया कोई संशोधन अथवा आशोधन शामिल है जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित अथवा स्वीकार किया है;

(झ) **"नियम"** से दूरसंचार (एमेचर स्टेशन प्रचालक) नियम, 2024 से अभिप्रेत है; और

(ञ) **"एसएसीएफए"** से दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के अधीन फ्रीक्केन्सी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।

3. कार्यक्षेत्र

(1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन दिए गए एएसओसी के निबंधन और शर्तों के अनुसार ही एमेचर स्टेशन स्थापित या प्रचालित करेगा।

(2) एएसओसी की दो श्रेणियां होंगी जिन्हें केंद्रीय सरकार नियम 6 के उप-नियम (1) के तहत प्रदान करेगी, अर्थात्:

(क) एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र (सामान्य), अथवा एएसओसी (सामान्य);

(ख) एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र (प्रतिबंधित), अथवा एएसओसी (प्रतिबंधित)।

4. एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तें

(1) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन उस व्यक्ति को एएसओसी प्रदान किया जाएगा, जो:

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) बारह वर्ष से कम आयु का नहीं है; और

(ग) एएसओसी प्रदान करने के लिए नियम 5 के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, समय-समय पर अधिसूचित ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, एएसओसी प्रदान करने पर विचार करने के लिए परीक्षा देने की अनुमति दे सकती है या उसे प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकती है, यदि वह उप-नियम (2) के अंतर्गत अन्यथा अहर्ता प्राप्त है।

(2) पात्र विदेशी नागरिकों को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित मंजूरी के अध्ययधीन पारस्परिक आधार पर निर्दिष्ट फॉर्म में प्रस्तुत आवेदन और एक हजार रुपये के शुल्क के साथ एएसओसी प्रदान दी जा सकती है।

5. एमेचर स्टेशन ऑपरेटर की जांच

(1) नियम 4 के तहत निर्धारित यथा लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति एमेचर स्टेशन ऑपरेटर की जांच के लिए एएसओसी प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट फॉर्म में आवेदन कर सकता है परंतु यह आवेदन परीक्षा की तारीख से एक महीने पहले जमा करना होगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत किसी भी आवेदन के साथ एएसओसी की किसी भी श्रेणी के लिए एक सौ रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा।

(3) केंद्र सरकार किसी भी श्रेणी में एएसओसी प्राप्त करने के लिए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, स्थान, प्रक्रिया, तारीख और समय और ऐसी परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख प्रकाशित करेगी। यह परीक्षा अंग्रेजी में होगी। एएसओसी (सामान्य) के लिए परीक्षा हेतु मोर्स कोड में प्रवीणता अपेक्षित है।

(4) परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए एएसओसी की प्रत्येक श्रेणी में कुल अंकों का न्यूनतम चालीस प्रतिशत लाना अपेक्षित है।

6. एमेचर स्टेशन ऑपरेटर का प्रमाण पत्र देना और वैधता

(1) केंद्र सरकार, नियम 5 के तहत परीक्षा के सफल समापन पर एमेचर स्टेशन ऑपरेटरों के लिए विशिष्ट कॉल साइन के साथ निम्नलिखित श्रेणियों के प्रमाण पत्र जारी करेगी, जो नीचे निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के अधीन है

प्रमाण पत्र की श्रेणी	**शुल्क**
एएसओसी (सामान्य)	(i) 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए 1000 रु (ii) आजीवन वैधता के लिए 2000 रु
एएसओसी (प्रतिबंधित)	

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "समयावधि" से तात्पर्य एएसओसी धारक के अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने से है।

(3) किसी भी श्रेणी के एएसओसी के लिए परिणामों की घोषणा की तारीख से दो साल के भीतर भुगतान किया जाएगा जिसमें विफल होने पर कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

7. एमेचर स्टेशन ऑपरेटर के लिए लागू सामान्य शर्तें

(1) एएसओसी धारक फ्रीक्वेन्सी बैंड और एमिशन पर एमेचर स्टेशनों का संचालन करेगा और एएसओसी की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पावर ट्रांसमिट करेगा। एएसओसी (सामान्य) के धारक को एएसओसी (प्रतिबंधित) के धारक की तुलना में अधिक एमिशन टाइप और उच्च पावर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

(2) प्रत्येक एमेचर स्टेशन को निम्नानुसार स्थापित और संचालित किया जाएगा:

(क) अधिनियम के उपबंध और उसके तहत बनाए गए कोई भी नियम जहां भी लागू हैं।

(ख) इन नियमों के अनुबंध क में निर्दिष्ट नियम और शर्तें; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन और रेडियो विनियमों के प्रावधान।

(3) एएसओसी धारक को एमेचर रेडियो उपकरण के आयात के लिए एक अलग प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) केंद्र सरकार किसी भी समय एएसओसी धारक को लिखित रूप में विशिष्ट नोटिस द्वारा या आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सामान्य नोटिस के माध्यम से या समाचार पत्र में व्यापक रूप से प्रसार द्वारा एएसओसी की किसी भी शर्त को संशोधित, परिवर्तित या रद्द कर सकती है।

(5) एएसओसी धारक अपने स्वयं के खर्च पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एएसओसी की शर्तों में बदलाव करेगा।

(6) एएसओसी धारक एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान पर अपने एएसओसी की डुप्लिकेट प्रति जारी करने या अपना स्थान बदलने के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) एएसओसी धारक प्राकृतिक विपदा और आपदाओं के दौरान केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर बिना किसी शुल्क या प्रभार के एमेचर सेवा फ्रीक्वेंसी बैंड में रेडियो संचार सेवाएं प्रदान करेगा।

(8) एएसओसी धारक को भारत में पंजीकृत जहाज पर एमेचर स्टेशन स्थापित करने और संचालित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट प्रपत्र में एक विशिष्ट अनुरोध करने के पश्चात अनुमति दी जा सकती है।

.8 एमेचर स्टेशन ऑपरेटर के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

(1) एएसओसी धारक नियम 6 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के साथ इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट फॉर्म में इस प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से कम से कम बारह महीने पहले आवेदन जमा करके अपने एएसओसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

बशर्ते कि इस समय अवधि की समाप्ति के बाद और इस समाप्ति की तारीख के दो साल बाद तक नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन करना हो तो एक हजार रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर आवेदन किया जा सकता है;

बशर्ते कि नवीनीकरण के लिए एएसओसी की समाप्ति की तारीख से दो साल के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) इस उद्देश्य के लिए आजीवन प्रमाण पत्र की वैधता को निर्दिष्ट प्रपत्र में एएसओसी धारक द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार में दस साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

9. एमेचर स्टेशन ऑपरेटर के प्रमाण पत्र का निलंबन या इसे रद्द करना

(1) केंद्र सरकार किसी एएसओसी को निलंबित या रद्द कर सकती है यदि उनके मतानुसार, एएसओसी धारक:

(क) इन नियमों के तहत दिए गए एएसओसी के निबंधनों और शर्तों, रेडियो उपकरण के संचालन के संबंध में लागू नियमों या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का पालन करने में विफल रहा है; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन या रेडियो विनियमों के लागू प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, या

(ग) जानबूझकर केंद्र सरकार को गलत या असत्य सूचना दी है।

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत निलंबन या निरस्तीकरण का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि एएसओसी धारक को ऐसे निलंबन या निरस्तीकरण के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के समक्ष अभ्यावेदन देने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो।

10. शुल्क की वापसी नहीं

किसी भी कारण से एएसओसी के निलंबन या निरस्तीकरण,या एएसओसी के निबंधनों और शर्तों के किसी भी संशोधन,परिवर्तन,निरस्तीकरण या निरसन के परिणामस्वरूप कोई मुआवजा या शुल्क की वापसी लागू नहीं होगी।

11. एमेचर स्टेशन ऑपरेटर के प्रमाणपत्र का अंतरण या सरेंडर

(1) एएसओसी का अंतरण नहीं होगा।

(2) एएसओसी धारक को किसी भी समय ऐसे एएसओसी का सरेंडर करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसे सरेंडर के लिए कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

12. स्कूलों, कॉलेजों या अन्य संस्थानों में एमेचर सोसायटी की गतिविधियों के लिए एमेचर स्टेशन संचालक के प्रमाण पत्र का उपयोग

(1) कम से कम चार एएसओसी धारकों का एक समूह, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थानों में एमेचर स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा एमेचर सेवाएं शुरू करने के प्रयोजन से, एमेचर सोसायटी बनाने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन तथा दो हजार रुपये के शुल्क का भुगतान कर सकता है।

(2) उप-नियम) 1) के तहत आवेदन में एएसओसी धारकों में से एक आवेदक को प्रस्तावित एमेचर सोसायटी के संरक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसी सोसायटी के भीतर ऐसी एमेचर सोसायटी की संरक्षकता को परिवर्तित कर किसी अन्य एएसओसी धारक को दिए जाने पर, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में केंद्र सरकार को तुरंत सूचित किया जाएगा।

(3) उपनियम)1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार एमेचर सोसायटी के लिए एक विशिष्ट कॉल साइन के साथ अनुमति दे सकती है, जो बीस वर्ष के लिए वैध होगी, या ऐसी एमेचर सोसायटी के संरक्षक के एएसओसी की वैधता, जो भी पहले हो, के साथ समाप्त होगी।

(4) यदि उप-नियम) 1) के तहत आवेदकों में से कोई भी एमेचर सोसायटी छोड़ता है, तो उसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में केंद्र सरकार को तुरंत सूचित किया जाएगा।

(5) इस नियम के तहत दी गई अनुमति तब तक वैध बनी रहेगी जब तक कि उप-नियम) 1) के तहत आवेदक एएसओसी धारकों में से कम से कम चार एमेचर सोसायटी के सदस्य बने रहते हैं।

13. विशिष्ट आयोजनों के लिए विशेष कॉल साइन जारी करना

(1) इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले फॉर्म में आवेदन प्राप्त होने और दो सौ रुपये की फीस का भुगतान करने पर एएसओसी धारकों और नियम 12 के तहत गठित एमेचर सोसाइटियों को किसी विशिष्ट आयोजन के लिए एक विशेष कॉल साइन निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उप-नियम) 1) के तहत निर्धारित एक विशेष कॉल साइन नब्बे दिनों या आयोजन की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध होगा।

14. अभिलेखों का निरीक्षण और सूचना मांगना

प्रत्येक एएसओसी धारक का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण के लिए अभिलेखों के साथ-साथ एमेचर रेडियो उपकरण प्रस्तुत करे और केंद्र सरकार द्वारा उसके संबंध में अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करे।

15. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, आवेदन प्रस्तुत करने, पाठ्यक्रम का प्रकाशन, परीक्षा का स्थान, तरीका, तिथि और समय, परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा और इन नियमों के तहत विनिर्दिष्ट एएसओसी और अन्य अनुमतियां प्रदान करने सहित इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल अधिसूचित कर सकती है।

अनुबंध क

(नियम 7(2)(ख) देखें)

एमेचर स्टेशन की संस्थापना और परिचालन के लिए निबंधन और शर्तें

1. एमेचर स्टेशन का उपयोग

एमेचर स्टेशन का उपयोग अधिकृत फ्रिक्वेंसी बैंड के भीतर एमेचर स्टेशन के प्ररिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक फ्रिक्वेंसी और टाइम सिग्नल सर्विस में ट्रांसमिशन को रिसीव करने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

2. संदेश

(1) (क) रेडियो संचार का आदान-प्रदान अन्य अधिकृत एमेचर स्टेशनों के साथ किया जा सकता है। एमेचर स्टेशन उन देशों के एमेचर स्टेशनों के साथ संचार नहीं करेंगे जिनके प्रशासन ने ऐसे रेडियो संचार पर अपनी आपत्ति के बारे में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन को सूचित किया है।

(ख) ट्रांसमिशन सरल भाषा में किया जाएगा तथा तकनीकी प्रकृति के संदेशों तक सीमित होगा।

(2) अधिकृत संस्था निम्नलिखित संदेश प्रसारित नहीं करेगी:

(क) ब्रॉडकास्ट कार्यक्रमों, टेप रिकॉर्डिंग या मनोरंजन के साधन अथवा संगीत के ट्रांसमिशन का रिप्रोडक्शन;

(ख) झूठे या भ्रामक कॉल, सिग्नल्स, समाचार, विज्ञापन, व्यवसाय के संचार, राजनीतिक या औद्योगिक विवाद के विषयों पर बयान, या तीसरे पक्ष के संदेश; या

(ग) अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक भाषा या सिग्नल्स का उपयोग।

(3) सामान्य दूरसंचार सुविधाओं की विफलता की स्थिति में एएसओसी धारक को प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित थर्ड पार्टी के सिग्नल्स को प्रबंधित करने की अनुमति दी गई है जो सक्षम सिविल प्राधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या जिलाधीश और उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिये गए हो और संबोधित हैं।

3. फ्रिक्वेंसी, एमिशन्स और पॉवर

एमेचर स्टेशन को उन फ्रिक्वेंसी पर प्रचालित किया जाएगा जो सर्टिफिकेट से संबंधित श्रेणी के लिए अधिकृत फ्रिक्वेंसी बैंड के भीतर हैं और एमिशन्स और पॉवर की ऐसी श्रेणी जो की सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है।

4. फ्रिक्वेंसी नियंत्रण और माप

(1) ट्रांसमिटिंग एपरेटस को यथा संभव सटीक रूप से ट्यून किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकृत फ्रिक्वेंसी बैंड की सीमाओं के बाहर किसी भी फ्रिक्वेंसी पर किसी एनर्जी का विकिरण ना हो।

(2) एएसओसी धारक के पास प्राधिकृत एमेचर स्टेशन पर फ्रिक्वेंसी को मापने वाला एक विश्वसनीय उपकरण होना चाहिए ताकि प्रत्येक बार ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी बदलने पर और जब भी यह जांचना आवश्यक हो कि ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी में एमिशन अधिकृत फ्रिक्वेंसी बैंड के भीतर है को सत्यापित किया जा सके। एएसओसी धारक फ्रिक्वेंसी मापने वाले उपकरण की सटीकता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(3) फिक्स्ड एमेचर स्टेशन के मामले में एसएसीएफए की क्लीयरेंस प्रयोजन होगी।

5. नॉन-इंटरफेरेंस

(1) एमेचर स्टेशन को इस तरह से डिजाइन, निर्मित, स्थापित, अनुरक्षित और प्रचालित किया जाएगा कि किसी भी अधिकृत रेडियो संचार सेवा में कोई इंटरफेरेंस न हो।

(2) स्टेशन द्वारा इंटरफेरेंस किए जाने की स्थिति में एएसओसी धारक केंद्र सरकार या किसी लैंड स्टेशन के अनुरोध पर उपकरण के समायोजन तक ट्रांसमिशन को बंद कर देगा या प्रतिबंधित कर देगा।

(3) एएसओसी धारक वर्ग ख के एमिशन (डैम्प्ड वेव) का उपयोग नहीं करेगा।

6. रेडियो सेवा की लॉग डायरी

(1) एमेचर स्टेशन से आने वाले या प्राप्त होने वाले सभी ट्रांसमिशन का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड बाउंड बुक (नॉट लूज- लीफ) में रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा:

(क) प्रत्येक ट्रांसमिशन की तारीख और समय;

(ख) आदान-प्रदान किए गए संचार का सारांश;

(ग) किए गए प्रयोगों और परीक्षणों का संक्षिप्त विवरण;

(घ) उन स्टेशनों या स्टेशनों का कॉल साइन, जिनके साथ संदेशों का आदान-प्रदान किया गया है प्रत्येक मामले में किए गए एमिशन का समय और प्रकार;

(ङ) एमेचर स्टेशन के खुलने और बंद होने का समय;

(च) पोर्टेबल या मोबाइल एमेचर स्टेशन के मामले में अस्थायी स्थान का विवरण।

(2) लॉग में सभी समय भारतीय मानक समय में लिखे जाएंगे।

(3) लॉग में प्रविष्टियों के बीच कोई गैप नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के समय तैयार और दर्ज किया जाएगा।

(4) एएसओसी धारक लॉग को नष्ट करने से पहले उसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखेगा:

बशर्ते कि किसी भी लॉग को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए नष्ट नहीं किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित कर सकती है।

7. एमेचर रेडियो उपकरण

(1) एमेचर स्टेशन रिसेप्शन के साथ-साथ ट्रांसमिशन के लिए भी तैयार होगा।

(2) एएसओसी धारक द्वारा उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने के लिए एमेचर रेडियो उपकरण और अन्य सहायक उपकरण इस तरह से सुव्यवस्थित किए जाएंगे ताकि किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा न हो और/या किसी भी सेवा में बाधा न आए।

(3) इन एमेचर रेडियो उपकरण को सुरक्षित स्थिति में और इस प्रकार रखा जाएगा जिससे कि अनधिकृत व्यक्तियों की उस तक पहुंच न हो।

(4) प्रत्येक एएसओसी धारक को अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले एमेचर रेडियो उपकरणों का रिकार्ड नीचे निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार रखना होगा:

क्र. सं.	उपकरण का विवरण			जिस व्यक्ति से प्राप्त किया गया है उसका नाम और पता (यदि प्राधिकृत संस्था द्वारा संकलित किया गया हो तो स्वनिर्मित लिखें)	प्राप्ति या असेम्बल की तिथि
	मेक	मॉडल और टाइप	सीरीयल न.		

खरीद के मामले में, रसीद संख्या दें और विक्रेता का प्रमाण-पत्र संख्या बताएं	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे बेचा या हस्तांतरित किया गया है।	बिक्री या हस्तांतरण की तिथि	क्रेता के नाम पर जारी प्रमाण-पत्र का विवरण	टिप्पणी

8. पत्राचार की गोपनीयता

यदि कोई ऐसा संदेश जिसे एएसओसी धारक प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है तब भी प्राप्त होता है तो ऐसे एएसओसी धारक इसकी विषय-वस्तु, इसके स्रोत या गंतव्य, इसके अस्तित्व या इसकी प्राप्ति के तथ्य को किसी व्यक्ति (केन्द्रीय सरकार या किसी न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के अलावा) को नहीं बताएगा या बताने की अनुमति नहीं देगा और ऐसे एएसओसी धारक ऐसे संदेश का लिखित रूप में प्रतिलिपि तैयार ,कॉपी या उपयोग नहीं करेंगे, या लिखित रूप में प्रतिलिपि तैयार करने, कॉपी करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।

9. सामान्य रेडियो संचार प्रक्रिया

(1)(क) प्रसारण से पहले, स्टेशन को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखनी होगी कि उनके इमिशन के कारण पहले से चल रहे प्रसारण में बाधा न आए। यदि ऐसी किसी बाधा की संभावना होती है तो प्रसारण को तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि संचार में उपयुक्त नियंत्रण न हो।

(ख) प्रमाण-पत्र में अंकित कॉल साइन को प्रसारण की प्रत्येक अवधि के आरंभ और अंत में पहचान के लिए भेजा जाएगा। जब प्रसारण की अवधि 10 मिनट से अधिक हो जाती है तो कॉल साइन को दोहराया जाएगा। एएसओसी धारक बिना पहचान के या गलत पहचान के साथ प्रसारण नहीं करेगें।

(ग) लम्बी कॉल और प्रसारण से बचा जाए।

(घ) जब कॉल साइन, कुछ अभिव्यक्तियाँ, कठिन शब्द, संक्षिप्त रूप, आकड़ें आदि का उच्चारण करना आवश्यक हो, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन में दिए गए ध्वन्यात्मक वर्णमाला और फिगर कोड का उपयोग किया जाएगा।

(2) कॉल और उत्तर की प्रक्रिया:

(क) कॉल में कॉल करने वाले स्टेशन का कॉल साइन तीन बार से अधिक नहीं होना चाहिए; शब्द डीई (मोर्स प्रसारण के मामले में) और शब्द "दिस इस" (टेलीफोनी के मामले में)। कॉल करने वाले स्टेशन का कॉल साइन तीन बार से अधिक नहीं होना चाहिए।
(ख) कॉल के उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी- कॉल करने वाले स्टेशन का कॉल साइन, तीन बार से अधिक नहीं; शब्द डीई (मोर्स प्रसारण के मामले में) और शब्द "दिस इस" (टेलीफोनी के मामले में)। कॉल करने वाले स्टेशन का कॉल साइन, तीन बार से अधिक नहीं।

(ग) कॉल दो मिनट के अंतराल पर तीन बार भेजी जा सकेगी; उसके बाद इसे 10 मिनट के अंतराल तक दोहराया नहीं जाएगा जिसके दौरान ऑपरेटर उस फ्रीक्वेन्सी बैंड में सुनेगे जिस पर कॉल की गई है।

(घ) सभी स्टेशनों पर सामान्य कॉल के मामले में सिग्नल 'सीक्यू' (रेडियोटेलीग्राफी के मामले में) और शब्द 'हैलो आल स्टेशन' या सिग्नल 'सीक्यू' (रेडियोटेलीफोनी के मामले में) कॉलिंग प्रक्रिया में कॉल किए गए स्टेशन के कॉल साइन का स्थान लेंगे।

(3) प्रसारण और कार्य की समाप्ति:

(क) संदेश का प्रसारण सिग्नल एआर (मोर्स प्रसारण के मामले में) और शब्द 'ओवर' (टेलीफोनी के मामले में) द्वारा समाप्त किया जाएगा।
(ख) दो स्टेशनों के बीच कार्य की समाप्ति को उनमें से प्रत्येक द्वारा संकेत वीए (मोर्स प्रसारण के मामले में) के माध्यम से और रेडियोटेलीफोनी के मामले में 'आउट' (या वीए जिसे विक्टर अल्फा बोला जाता है) शब्द द्वारा सूचित किया जाएगा।

(4) परीक्षण:

(क) जब ट्रांसमीटर या रिसीवर के समायोजन या किसी प्रयोग के लिए परीक्षण संकेत बनाना आवश्यक हो तो ऐसे संकेतों को 30 सेकंड से अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाएगा और यह वीवीवी की सीरीज से बना होगा जिसके बाद परीक्षण सिग्नल इमिशन करने वाले स्टेशन का कॉल साइन होगा। रेडियोटेलीफोनी के मामले में वीवीवी की सीरीज को फिगर कोड में बोले गए 1,2,3,4... अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ख) 30 सेकंड से अधिक के परीक्षण के लिए आर्टिफिशल एरियल का उपयोग किया जाएगा।
(ग) एएसओसी धारक केरियर वेव का इमिशन नहीं करेगें जब तक कि ऐसे केरियर वेव स्पष्ट मॉड्यूलेशन के अधीन न हो।

10. निरीक्षण

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी उपकरण का निरीक्षण, जांच या परीक्षण कर सकता है तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा जांच के लिए प्रमाण-पत्र, स्टेशन लॉग या अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना।
(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जब एएसओसी धारक को ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो वह प्रमाण-पत्र, लॉग बुक या कोई अन्य रिकार्ड या डाटा, केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच के लिए भेजने की व्यवस्था करेगें।

11. एएसओसी धारक प्रमाण-पत्र द्वारा अनुमत किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्यो, दावों और मांगों के खिलाफ केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति देगें।

[फा. सं 24-03/2024-यूबीबी]

देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

G.S.R. 447(E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 47 read with clause (zi) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi - 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Telecommunications (Amateur Station Operator) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "**Act**" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "**amateur radio equipment"** means radio equipment required for operating an amateur station as notified by the Central Government;

(c) "**amateur services**" means radio communication services for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorised person interested in radio technique solely with a personal aim and without any pecuniary interest;

(d) "**amateur station**" means a radio station operated by an amateur for amateur services;

(e) "**ASOC**" or "**Amateur Station Operator's Certificate"** means either of the two categories of certificates, namely ASOC (General) and ASOC (Restricted), as specified under sub-rule (2) of rule 3, and an **"ASOC holder"** means the person who has been granted such certificate under sub-rule (1) of rule 6;

(f) "**International Telecommunication Convention**" means the Convention of the International Telecommunication Union signed at Geneva in 1992 or any subsequent revision or modification thereof which the Government of India has ratified or accepted;

(g) "**portal**" means the portal which may be notified by the Central Government under rule 15 of these rules;

(h) "**Radio Regulations**" means the regulations adopted by the World Radiocommunication Conference (Geneva 1995) and includes every revision or modification thereof which the Government of India has ratified or accepted;

(i) "**rules**" means the Telecommunications (Amateur Station Operator) Rules, 2024; and

(j) "**SACFA**" means the Standing Advisory Committee for Frequency Allocation under the Department of Telecommunications, Government of India.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Scope

(1) No person shall install or operate an amateur station except under and in accordance with the terms and conditions of an ASOC granted under these rules.

(2) There shall be two categories of ASOC which may be granted by the Central Government under sub-rule (1) of rule 6, namely:
(a) Amateur Station Operator's Certificate (General), or ASOC (General);

(b) Amateur Station Operator's Certificate (Restricted), or ASOC (Restricted).

4. Eligibility conditions for obtaining an amateur station operator's certificate

(1) An ASOC shall be granted to any person under sub-rule (1) of rule 6, who:

(a) is a citizen of India;
(b) is not less than twelve years of age; and
(c) qualifies the examination under rule 5 for the award of an ASOC.

Provided however that the Central Government may, subject to such terms and conditions as it may notify from time to time, permit a person, who is not a citizen of India, to undertake an examination for consideration of the grant of an ASOC or grant him a certificate, if he is otherwise qualified under sub-rule (2).

(2) An ASOC may be granted, on a reciprocal basis, to eligible foreign nationals subject to requisite clearance from the Ministry of External Affairs, Government of India based on an application submitted in the form as may be specified for this purpose, along with a fee of one thousand rupees.

5. Amateur station operator's examination

(1) Any person satisfying the eligibility criteria set forth under rule 4, as may be applicable, may make an application for appearing for the amateur station operator's examination for obtaining the ASOC, to the Central Government, in the form specified for this purpose, no later than one month before the date of such examination.
(2) Any application under sub-rule (1) shall be accompanied by examination fee of one hundred rupees, for either category of ASOC.
(3) The Central Government shall publish the syllabus, place, manner, date and time for the examination for obtaining the ASOC in either category, and the date of announcement of the results of such examination. The language of such examination shall be English. The examination for ASOC (General) shall require proficiency in Morse Code.
(4) The successful completion of such examination shall require a minimum of forty percent of the total marks in respect of each category of ASOC.

6. Grant and validity of the amateur station operator's certificate
(1) The Central Government shall, upon successful completion of the examination under rule 5, issue any of the following categories of certificates along with unique call signs for amateur station operators, subject to payment of fees as specified below:

Category of certificate	**Fee**
ASOC (General)	(i) Rs. 1000/- for validity period of 20 years
ASOC (Restricted)	(ii) Rs. 2000/- for life time validity

(2) For the purposes of this rule, the expression "lifetime" means till the holder of the ASOC attains the age of eighty years.

(3) Payment for the grant of ASOC of either category, shall be made within two years from the date of declaration of results, failing which no certificate shall be issued.

7. General conditions applicable to an amateur station operator

(1) An ASOC holder shall operate amateur stations on such frequency bands and emissions, and transmit power as specified by the Central Government in respect of each category of ASOC. The holder of ASOC (General) shall be permitted use of more emission types and higher power than the holder of ASOC (Restricted).

(2) Every amateur station shall be installed and operated in accordance with:
(a) the provisions of the Act, and any rules made thereunder, in so far as they are applicable.
(b) the terms and conditions specified in Annexure A to these rules; and
(c) the provisions of the International Telecommunication Convention and Radio Regulations.

(3) An ASOC holder shall not require a separate authorisation for the import of amateur radio equipment.

(4) The Central Government may modify, vary, cancel or revoke any of the conditions of the ASOC at any time either by specific notice in writing to the ASOC holder, or by means of a general notice published in the Official Gazette, or in a newspaper with wide circulation.

(5) The ASOC holder shall at their own expense, give effect to any variations in the conditions of the ASOC as notified by the Central Government.

(6) The ASOC holder may apply for issuance of a duplicate of their ASOC or apply to change their location, upon payment of fees of one thousand rupees.

(7) The ASOC holder shall provide radio communication services in amateur services frequency band, at the request of the Central Government or a State Government or any officer specially authorized in this behalf by the Central Government or a State Government, during natural calamities and disasters, without any fee or charge.

(8) The ASOC holder may be permitted to install and operate an amateur station on board a ship registered in India, upon placing a specific request in the form as may be specified for this purpose, by the Central Government.

8. Renewal of amateur station operator's certificate

(1) An ASOC holder may apply for renewal of his ASOC by making an application in the form specified for this purpose, at least twelve months prior to the date of expiry of such certificate, along with payment of fees as specified in sub-rule (1) of rule 6.

Provided however that any application for renewal after the expiry of such time period and up to two years after the date of such expiry, may be made upon payment of late fees of one thousand rupee ;

Provided further that no application for renewal shall be considered if received after two years from the date of expiry of the ASOC.

(2) Validity of lifetime certificate may be extended for ten years at a time, without any additional fees, upon specific request made by the ASOC holder in the form specified for this purpose.

9. Suspension or cancellation of amateur station operator's certificate

(1) The Central Government may suspend or cancel an ASOC if in its opinion, the ASOC holder has:
(a) failed to comply with the terms and conditions of the ASOC granted under these rules, rules applicable in respect of operation of radio equipment, or any other provision of the Act; or
(b) failed to comply with the applicable provisions of the International Telecommunication Convention or the Radio Regulations, or
(c) wilfully furnished incorrect or false information to the Central Government.

Provided that no order of suspension or cancellation under this sub-rule shall be made unless the ASOC holder has been given a reasonable opportunity of making a representation against such suspension or cancellation to the Central Government.

10. No refund of fees

No compensation or refund of fees shall be applicable as a result of any suspension or cancellation of the ASOC for any reason whatsoever, or for any modification, variation, cancellation or revocation of terms and conditions of the ASOC.

11. Transfer or surrender of amateur station operator's certificate

(1) The ASOC shall be non-transferable.

(2) The ASOC holder shall be permitted to surrender such ASOC at any point of time, *provided however* that no refund of fees shall be granted for such surrender.

12. Use of amateur station operator's certificate for activities of an amateur society in schools, colleges or other institutions

(1) A group, comprising of a minimum of four ASOC holders, may submit an application in the form specified for this purpose, and payment of fees of two thousand rupees, to form an amateur society in schools, colleges, universities or other institutions, for the purpose of installation and operation of an amateur station and undertaking of amateur services.

(2) The application under sub-rule (1) shall specify one of the applicant ASOC holders as the custodian of the proposed amateur society. Any change of custodianship of such amateur society to any other ASOC holder within such society, shall be promptly communicated to the Central Government in such form as may be specified for this purpose.

(3) Upon receipt of the application under made sub-rule (1), the Central Government may grant permission for the amateur society, along with a unique call sign, which shall be valid for twenty years, or co-terminus with the validity of the ASOC of the custodian of such amateur society, whichever is earlier.

(4) If any of the applicants under sub-rule(1) leaves the amateur society, the same shall be communicated promptly to the Central Government in the form specified for this purpose.

(5) The permission granted under this rule shall continue to remain valid so long as at least four of the applicant ASOC holders under sub-rule (1) continue as members of the amateur society.

13. Issue of special call signs for specific events

(1) A special call sign for a specific event may be assigned to ASOC holders and to the amateur societies constituted under rule 12, on receipt of an application in such form as may be specified for this purpose, and payment of fees of two hundred rupees.

(2) A special call sign assigned under sub-rule (1) shall be valid up to ninety calendar days or until the duration of the event, whichever is earlier.

14. Inspection of records and calling for information

It shall be the duty of every ASOC holder to produce for inspection, records as well as amateur radio equipment, and to give any other information in connection therewith as may be required by the Central Government.

15. Digital implementation of these rules

The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules, including for submission of applications, publication of syllabus, place, manner, date and time of examination, declaration of results of examinations, and grant of ASOC and other permissions as specified under these rules.

Annexure A

(See rule 7(2)(b))

Terms and conditions for the installation and operation of amateur station

1. Use of the amateur station

The amateur station may be used for the purpose of receiving transmissions in the Standard Frequency and Time Signal Service to facilitate operation of the amateur station within the authorised frequency bands.

2. Messages

(1) (a) Radio communications may be exchanged with other authorized amateur stations. The amateur stations shall not communicate with amateur stations of countries whose administrations have notified the International Telecommunication Convention of their objection to such radio communications.

(b) Transmissions shall be made in plain language and limited to messages of a technical nature.

(2) The authorised entity shall not transmit messages containing:

(a) reproduction of broadcast programmes, tape recordings or transmissions of entertainment value or music;
(b) false or misleading calls, signals, news, advertisements, communications of business, statements on topics of political or industrial controversy, or third party messages; or
(c) use of indecent, obscene, offensive language, or signals.

(3) In case of failure of normal telecommunication facilities, an ASOC holder is permitted to handle third party messages, pertaining to natural calamities, originating from and addressed to a competent civil authority namely, District Magistrates or Deputy Commissioners or Collectors of the district and any other officer authorised by them.

3. Frequencies, emissions and power

The amateur station shall be operated on frequencies that are within the frequency bands authorised to respective categories of certificates and on such classes of emissions and power as notified by Government.

4. Frequency control and measurement

(1) The transmitting apparatus shall be tuned as accurately as possible to ensure that no energy is radiant on any frequency outside the limits of the authorised frequency bands.

(2) The ASOC holder shall have at the authorised amateur station a reliable frequency measuring equipment to verify, each time the frequency of the transmitter is changed and whenever it is necessary to check that the emissions in the transmitted frequency, are within the authorised frequency bands. The ASOC holder shall take all steps necessary to maintain the accuracy of the frequency measuring equipment.

(3) In the case of a fixed amateur station, the SACFA clearance shall be applicable.

5. Non-Interference

(1) The amateur station shall be so designed, constructed, erected, maintained and worked so as not to cause interference with any authorised radio communication service.
(2) In the event of interference being caused by the station, the ASOC holder shall discontinue, or restrict transmissions, pending adjustment of the equipment, on request from the Central Government or any land station.
(3) The ASOC holder shall not use of class B emissions (damped waves).

6. Log diary of the radio service

(1) A chronological record of all transmissions emanating from or received at the amateur station shall be kept in bound book (not loose-leaf) showing the following:

(a) date and time of each transmission;
(b) summary of the communications exchanged;
(c) brief description of the experiments and tests undertaken;
(d) call sign of station or stations with which messages have been exchanged, times and type of emission employed in each case;
(e) time of opening and closing down the amateur station;
(f) in case of portable or mobile amateur station, the particulars of temporary location.

(2) All times in the log shall be stated in the Indian Standard Time.

(3) No gaps shall be left between entries in the log, and they shall be made and installed at the time of receiving and transmitting.

(4) ASOC holder shall preserve the log for a period of one year from the date of last entry therein before it is destroyed:

Provided that no log shall be destroyed for such further period as the Central Government may direct.

7. Amateur radio equipment

(1) The amateur station shall be equipped for reception as well as transmission.

(2) The amateur radio equipment and other accessories used or intended to be used by the ASOC holder shall be so arranged as not to endanger the safety of any person and/or interrupt any services.

(3) The amateur radio equipment shall be kept in a safe condition and housed in such manner as to preclude access to unauthorised persons.

(4) Each ASOC holder shall maintain records of amateur radio equipment used by such holder in the form specified below:

S. No.	Particulars of Apparatus			Name and address of the person from whom received (in case assembled by Authorised entity write self-made)	Date of Receipt or assembly
	Make	Model and Type	Serial No.		

In case of purchase, give receipt no. and indicate the certificate no. of the seller	Name and address of the person to whom sold or transferred	Date of sale or transfer	Particulars of the certificate issued in the name of the purchaser	Remarks

8. Secrecy of correspondence

If any message which a ASOC holder is not entitled to receive is, nevertheless received, such ASOC holder shall not make known or allow to be made known its contents, its origin or destination, its existence or the fact of its receipt to any person (other than to an officer duly authorised for this purpose by the Central Government or a court of law) and such ASOC holder shall not reproduce in writing, copy or make any use of such message or allow the same to be reproduced in writing, copied or made use of.

9. General radiocommunication procedure

(1)(a) Before transmitting, the station shall take precautions to ensure that its emissions will not interfere with transmissions already in progress. If such interference is likely the transmission shall not commence till there is an appropriate break in the communications is progress.

(b) The call sign endorsed in the certificate shall be sent for identification at the beginning and at the end of each period of transmission. When the period of transmission exceeds 10 minutes the call sign shall be repeated. ASOC holder shall not make transmission without identification or with false identification.

(c) Prolonged calls and transmissions shall be avoided.

(d) When it is necessary to spell out call sign, certain expressions, difficult words, abbreviations, figures etc., the phonetic alphabet and figure code given in the International Telecommunication Convention shall be used.

(2) Call and Reply Procedure:

a) The call shall consist of the call sign of the station called not more than three times; the word DE (in case of Morse transmission) and the words "This is" (in case of telephony). the call sign of the calling station, not more than three times.

b) The reply to call shall consist of - the call sign of the calling station, not more than three times; the word DE (in case of a Morse transmission) and the words "This is" (in case of telephony). The call sign of the station called, not more than three times.

c) The call may be sent three times at intervals of two minutes; thereafter it shall not be repeated until an interval of 10 minutes during which the operator shall listen in the frequency band is which the call has been made.

d) In case of general call to all stations the signal 'CQ' (in case of radiotelegraphy) and the words 'Hello all stations' or the signal 'CQ' (in case of radiotelephony) shall replace the call sign of the station called in the calling procedure.

(3) End of Transmission and Work:

(a) Transmission of a message shall be terminated by the signal AR (in case of Morse transmission) and the word 'Over' (in case of telephony).

(b) The end of work between two stations shall be indicated by each of them by means of signal VA (in case of Morse transmission) and by the word 'OUT' (or VA spoken as Victor Alfa) in case of radiotelephony.

(4) Tests:

(a) When it is necessary to make test signals either for the adjustment of a transmitter or a receiver or for any experiment, such signals shall not be continued for more than 30 seconds and shall be composed of series of VVV followed by the call sign of the station emitting the test signals. In case of radiotelephony series of VVV shall be replaces by the figures 1,2,3,4... spoken in the figure code.

(b) For tests exceeding 30 seconds an artificial aerial shall be used.

(c) The ASOC holder shall not emit carrier wave unless such carrier wave is subjected to intelligible modulation.

10. Inspection

(1) Any officer authorised by the Central Government in writing, to carry out an inspection, may inspect, examine, or test any apparatus, and making available the certificate, the station log or other records for examination by the inspecting officer.

(2) The ASOC holder when called upon to do so by the Central Government shall arrange to forward the certificate, the log book, or any other record or data for examination by the Central Government.

11. The ASOC holder shall indemnify the Central Government against all actions, claims and demands which may be brought or made by any person in respect of any injury arising from any act permitted by the certificate.

[F.No.24-03/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.25 16:22:32 +05'30'